(11)

Gata No — 5
Village- Madharmau Kala (27)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 607340

30 MAR

-1-

विक्रय अनुबन्ध पत्र बिना कब्जा

प्रतिफल की धनराशि – रू0 5,82,400/–

अग्रिम धनराशि – रू0 5,50,000/–

बकाया धनराशि – रू0 32,400/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प – रू0 11,800/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – मोहनलालगंज

Mohit Bhatia

738

[illegible] .... 16-[illegible]

विक्रय की तिथि ....

[illegible] .... [illegible]

[illegible] पूरा पता ....

....

[illegible] ....

[illegible] स्टाम्प विक्रेता

[illegible] 180

[illegible] 31-3-2014

कलेक्ट्रेट कोर्ट, सचिवालय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 720524

कोषागार लखनऊ 28 MAR 2016 स० को० अ०/कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ कलेक्ट्रेट लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

3.	ग्राम	–	माढ़रमऊकला
4.	सम्पत्ति का विवरण –		भूमि खसरा संख्या नं0 5 रकबा 0.506 का 1/6 भाग अर्थात 0.0843 हेक्टेअर, ग्राम–माढ़रमऊकला, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।
5.	मापन की ईकाई	–	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल –		0.0843 हेक्टअर
7.	सड़क की स्थिति	–	सुल्तानपुर रोड से 100 मी0 से अधिक दूर
8.	सम्पत्ति का प्रकार	–	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	–	कोई पेड़ नहीं है।

Mohit Bhatia

बाला मेहरा

739

स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं० 186
की अवधि 31-3-2014
कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 679532

10. बोरिंग / कुआं अन्य– कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं0 5

उत्तर	:	खसरा नं0 3,6
दक्षिण	:	खसरा नं0 9
पूरब	:	खसरा नं0 8
पश्चिम	:	खसरा नं0 4

प्रथम पक्ष की संख्या–1 : द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम– मिर्जापुर	:	**ब्लिस कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड आफिस– द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट चेम्बर प्रथम, विभूति**

बालकेश

Mohit Bhatia

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....

मूल्य .... अंगरेजी स्टाम्प

नाम ....

द्वारा ....

मु० कोषाधिकारी   मुख्य कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 252206

भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।	खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री मोहित भाटिया पुत्र वेद प्रकाश भाटिया निवासी– बी–2/347,से0–ए, सीतापुर रोड योजना, एस0बी0आई कालोनी, जानकीपुरम, लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– व्यापार

यह विकय अनुबन्ध पत्र बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम–मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर

Mohit Bhatia

बालकेश

दिनांक

मूल्य

नाम

द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 045390

07 APR 20

जिन्हें आगे **प्रथम पक्ष** कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)

एवम्

ब्लिस कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड आफिस– द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट चेम्बर प्रथम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री मोहित भाटिया पुत्र वेद प्रका�ा भाटिया निवासी– बी–2/347,से0–ए, सीतापुर रोड योजना, एस0बी0आई कालोनी, जानकीपुरम, लखनऊ जिन्हें आगे **द्वितीय पक्ष** कहा गया है (जिसके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

Mohit Bhatia

मिति ......

नाम ......

द्वारा ......

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

07 APR 2010

स. को. अ./कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या नं0 5 रकबा 0.506 हे0 का 1/6 भाग अर्थात 0.0843 हेक्टेअर, ग्राम– माढ़रमऊकला, परगना, तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी संख्या 00146 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विकय अनुबन्ध पत्र द्वारा विकय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विकय के पूर्व कहीं बय,

Mohit Bhatia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 049 ...

07 APR 2010

स. को. अ./कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **5,82,400/-** (रू0 पाँच लाख बयासी हजार चार सौ मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमे से बतौर अग्रिम धनराशि रू0 **5,50,000/-**(रू0 पाँच लाख

आलोक 21

Mohit Bhatia

[illegible]
दिनांक [illegible]
मूल्य [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

पचास हजार मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष विक्रीत की गयी सम्पत्ति को प्रथम पक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में सक्षम अधिकारी से विक्रय किये की अनुमति प्राप्त करेगा तथा अनुमति प्राप्त किये जाने के छः माह के भीतर विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा शेष बकाया धनराशि रू0 **32,400/-**(रू0 बत्तीस हजार चार सौ मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पत्र के साथ नही दिया जा रहा है। कब्जा विक्रय विलेख निष्पादित होने के समय द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।

यह कि अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विकंता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास

वाल्टर

Mohit Bhatia

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
582,400.00		550,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000

श्री बालकेश
पुत्र श्री पृथ्वी पाल
पेशा कृषि
निवासी स्थायी मिर्जापुर भिटारी लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/4/2010 समय 6:12PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
16/4/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री बालकेश
पुत्र श्री पृथ्वी पाल
पेशा कृषि
निवासी मिर्जापुर भिटारी लखनऊ

क्रेता

विलस कं.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.मोहित भाटिया
पुत्र श्री वेद प्रकाश भाटिया
पेशा नौकरी
निवासी बी-2/347 से-ए सीतापुर रोड लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पंकज झा
राम नरेश
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग लखनऊ
व श्री पंकज पाठक
पुत्र श्री हरिशचन्द्र पाठक
पेशा नौकरी
निवासी लालबाग लखनऊ
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
16/4/2010

परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि विक्रय मूल्य **रू0 5,82,400/-** पर ही रू0 **11,800/-** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्टः भुगतान विवरण</u>

प्रथम पक्ष को रू0 5,50,000/-(रू0 पाँच लाख पचास हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या 366810 दिनांकित 16/04/2010 बैंक एच डी. एफ. सी बैंक, लखनऊ द्वितीय पक्ष से समक्ष गवाहान प्राप्त हुये जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊ:

दिनांक : 16.04.2010

<u>गवाह</u> :

1. पंकज भाटिया S/o राम नरेश भाटिया लालबाग (लखनऊ)

2. पंकज पाठक S/o हरिशंकर पाठक लालबाग (लखनऊ)

[signature]

प्रथम पक्ष

Mohit Bhatia

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

(लवकेन्द्र सिंह)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

सिविल कोर्ट लखनऊ

विक्रेता

Registration No.: 2230 Year : 2,010 Book No. : 1

0101 बालकेश

पृथ्वी पाल

मिर्जापुर मिटारी लखनऊ

कृषि

ग्राम - गोदरमऊ कलां

परगना - मोहनलालगंज

खसरा 5

तहसील व जिला - लखनऊ

रकबा 0.0843हे-

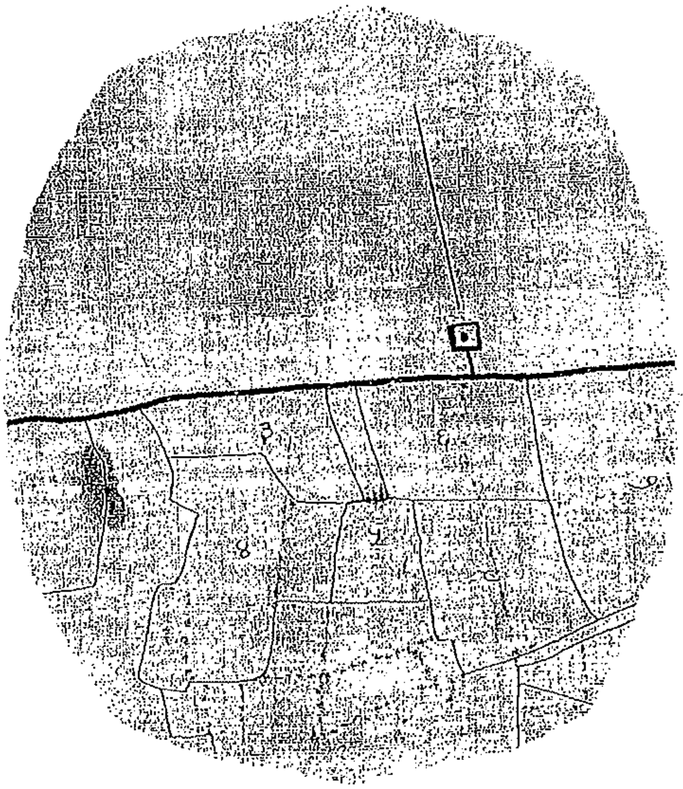

विक्रेता

बालकोरा

क्रेता

Mohit Bhatia

क्रेता

Registration No. : 2230 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 व्लिस का.प्रा.लि.द्वारा अधि.ह.मोहित भाटिया

वेद प्रकाश भाटिया

बी-2/347 से-ए सीतापुर रोड लखनऊ

नौकरी

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पताः– **बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम–मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर**

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

बालकेश

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष नाम व पताः– **ब्लिस कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री मोहित भाटिया पुत्र वेद प्रकाश भाटिया निवासी– बी–2/347,से0–ए, सीतापुर रोड योजना, एस0बी0आई कालोनी, जानकीपुरम, लखनऊ।**

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

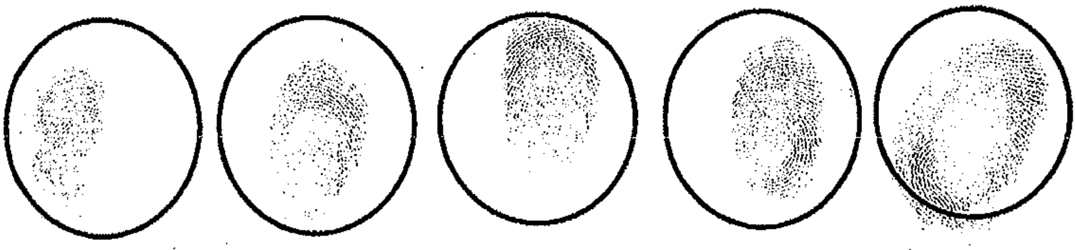

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

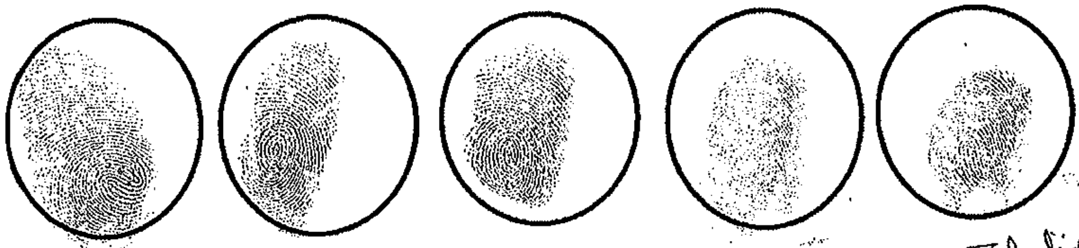

Mohit Bhatia

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 047667

7 APR 2010

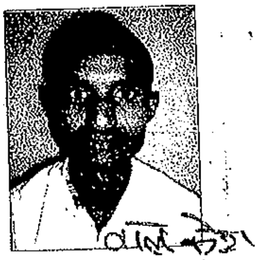

कब्जा हस्तान्तरण पत्र

मन कि बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम–मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिसे आगे *प्रथम पक्ष* कहा गया है एवं ब्लिस कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड आफिस– द्वितीय तल, एल्डिको कार्पोरेट चेम्बर प्रथम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री मोहित भाटिया पुत्र वेद प्रकाश भाटिया निवासी– बी–2/347,से0–ए, सीतापुर रोड योजंना, एस0बी0आई कालोनी, जानकीपुरम, लखनऊ जिन्हें आगे *द्वितीय पक्ष* कहा गया है।

बालकेश

Mohit Bhatia

क्रम संख्या 1255

स्टाम्प विक्रय की तिथि .... [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता .... विनोद [illegible]

....

स्टाम्प की धनराशि ....

संजय दत्त त्रिपाठी

ला० नं० 2[illegible], [illegible]

लाइसेंस की वैधता 31-3-2014

विक्रय का स्थान-कलेक्ट्रेट लखनऊ

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या नं0 5 रकबा 0.506 का 1/6 भाग अर्थात 0.0843 हेक्टेअर, ग्राम–माढ़रमऊकला, परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ पर काबिज है और प्रथम पक्ष का उक्त भूमि पर कब्जा है।

यह कि प्रथम पक्ष के पक्ष में उक्त भूमि का कब्जा निरन्तर आज तक चला आ रहा है। प्रथम पक्ष इस हस्तान्तरण पत्र द्वारा उक्त भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित कर रहा है और जिसके एवज में रू0 5,82,400/—(रू0 पांच लाख बयासी हजार चार सौ मात्र) इस हस्तान्तरण पत्र के अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष ने अदा कर दिया गया है।

यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या उसके वारिसान ने उसे इस हस्तान्तरण पत्र के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है एवं प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि का मौके पर कब्जा द्वितीय को बखूबी करा दिया है। अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष

वाल्केश्वर

Mohit Bhatia

तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम पक्ष ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेषा के लिए द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित कर दिया है। अब द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। प्रथम पक्ष व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि उक्त सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष, उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा । द्वितीय पक्ष चाहे तो अपने पक्ष में उक्त भूमि का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लेवे तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

लिहाजा यह हस्तान्तरण पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवष्यकता पड़ने पर काम आवे ।

आलोक मेहरा

Mohit Bhatia

परिशिष्टः सम्पत्ति विवरण

चौहद्दी खसरा नं0 5

उत्तर	:	खसरा नं0 3,6
दक्षिण	:	खसरा नं0 9
पूरब	:	खसरा नं0 8
पश्चिम	:	खसरा नं0 4

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को रू0 5,50,000/—(रू0 पाँच लाख पचास हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या 366810 दिनांकित 16/04/2010 बैंक एच डी. एफ सी. बैंक अलीगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से समक्ष गवाहान प्राप्त हुये जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊः
दिनांक : 16.04.2010
गवाह :

1. पंकज शा S/o
राम नरेश शा
लालबाग (लखनऊ)

बाल सेर

प्रथम पक्ष

Mohit Bhatia

द्वितीय पक्ष

2. पंकज पाठक S/o
हरिशंकर पाठक
लालबाग (लखनऊ)

ग्राम: मातरमऊ कलाँ परगना - मोहनलालगंज

खसरा . 5 तहसील व जिला - लखनऊ

रकबा . 0.0843 हे.

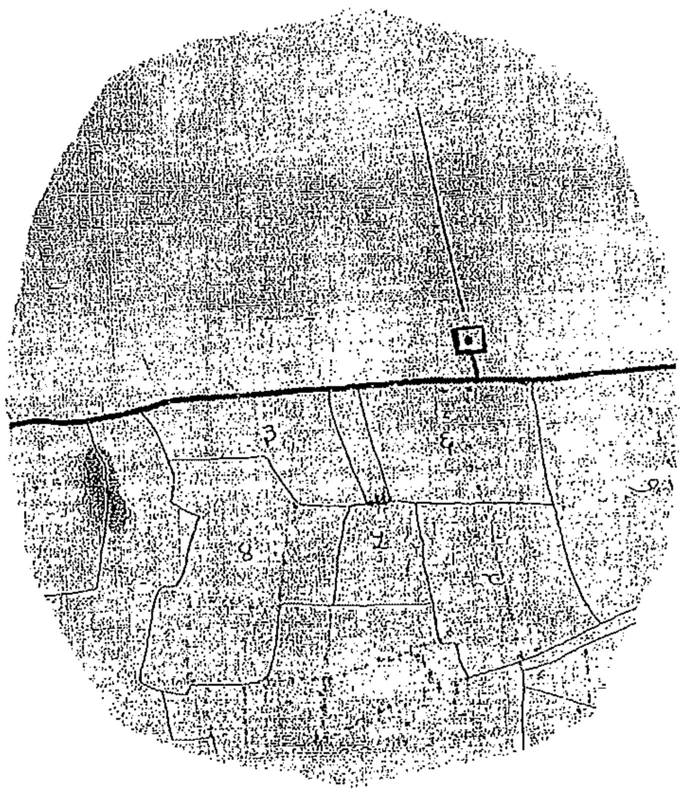

वालकेश

विक्रेता

Mohit Bhatia

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा—32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पताः— **बालकेश पुत्र पृथ्वीपाल, निवासी ग्राम—मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।**

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः—

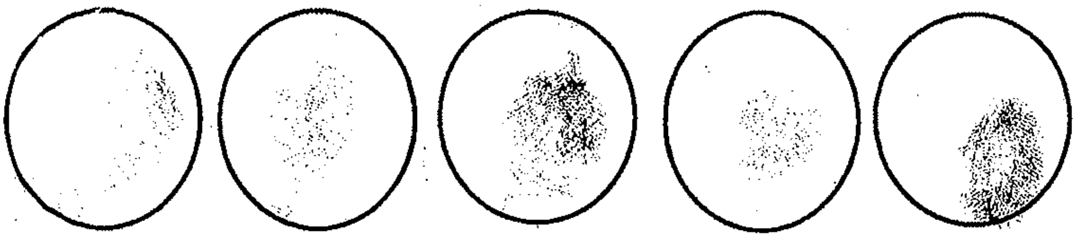

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :—

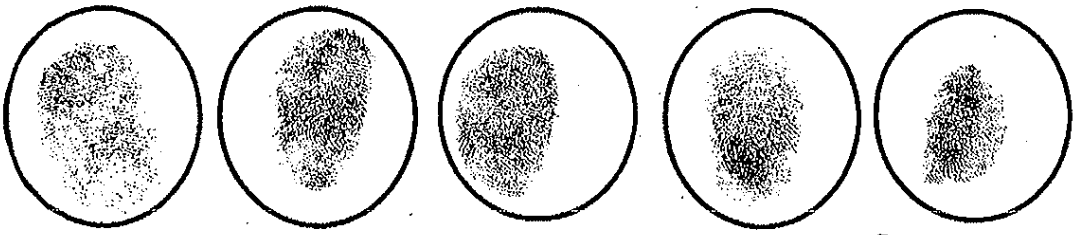

बालकेश

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का नाम व पताः— **ब्लिस कान्सट्रक्सन्स प्रा0 लि0, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री मोहित भाटिया पुत्र वेद प्रकाश भाटिया निवासी— बी—2/347,से0—ए, सीतापुर रोड योजना, एस0बी0आई कालोनी, जानकीपुरम, लखनऊ।**

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः—

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :—

Mohit Bhatia

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

आज दिनांक 16/04/2010 को

वही सं 1 जिल्द सं 2114

पृष्ठ सं 239 से 260 पर कमांक 2230

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

16/4/2010